

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारीय अधिकारी का नाम : श्वेता कौचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 403 सन 2022

अनवान :-

1. प्रकाश पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
2. मंगतुराम पुत्र स्व कमला देवी पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. पवन कुमार पुत्र स्व कमला देवी पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सन्तोष रानी पुत्री स्व कमला पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सुमन रानी पुत्री स्व कमला पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासील नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 72/72 की कुल 5.3110हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मनफुल पुत्र फूसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया में से एक पुत्री कमला का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार मनफुल पुत्र फूसाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की मृतक बहन कमला देवी के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मनफुल पुत्र फूसाराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मनफुल पुत्र फूसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके

23

अधिकारी



वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया में से एक पुत्री कमला का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार मनफुल पुत्र फूसाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने चाचा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल वादा पेश किया गया। शामिल गिराल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल गिराल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तजकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को मोहसत हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 72/72 की कुल 5.3110 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मनफुल पुत्र फूसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया में से एक पुत्री कमला का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार मनफुल पुत्र फूसाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।


प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की मृतक बहन कमला देवी के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 72/72 की कुल 5.3110 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मनफुल पुत्र फूसाराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया में से एक पुत्री कमला का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार मनफुल पुत्र फूसाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


  
अपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकट्ठा पेश किया जाकर विवेचन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरमा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 72/72 की कुल 5.3110 हैक्टर भूमि मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्డर 20, कुल 6-7 जाब्या दिवाणी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनुवांन :-

1. प्रकाश पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
2. मंगतुराम पुत्र स्व कमला देवी पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पवन कुमार पुत्र स्व कमला देवी पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सन्तोष रानी पुत्री स्व कमला पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुमन रानी पुत्री स्व कमला पुत्री मनफुल जाति मेधवाल निवासी नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 493 सन 2022 निर्णय दिनांक-04/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 72/72 की कुल 5.3110 हैक् भूमि मनफुल पुत्र फूसाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर